न्यायालय–जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 06/2025 मु.दी.
सी.आई.एस नंबरः–36/2025
सी.एन.आर. नंबर–RJSA01-000

भाणजी पुत्र देवाजी, उम्र 62 वर्ष,
निवासी छोटी वीरवा खुर्द, पोस्ट झल्लारा, जिला–सलूम्बर(राज.)

.....**वादी**

बनाम

सर्वसाधारण

....**प्रतिवादी**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थितः–
1. श्री एम.एस. चौहान, अधिवक्ता–वादी की ओर से।
2. विपक्षी से कोई उपस्थित नहीं।

–::आदेश::–

दिनांक 17.03.2026

1. प्रार्थी भाणजी की ओर से विरूद्ध विपक्षी सर्वसाधारण हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम, दिनांक 07.07.2025 को अपर जिला न्यायालय, सलूम्बर पेश किया गया। कालान्तर में सलूम्बर मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन हो जाने से अपर जिला न्यायालय, सलूम्बर द्वारा हस्तगत प्रकरण जिला एवं सेशन न्यायालय को अंतरित करने पर दिनांक 08.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि–वादी की पत्नी श्रीमती दलु का निधन दिनांक 12.01.2025 को हो गया, जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 22.01.2025 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। श्रीमती दलु के जीवनकाल में वादी एवं श्रीमती दलु के संयुक्त नाम से आईडीबीआई बैंक, झल्लारा में एक

इन्टरेस्ट क्वार्टली पे–आउट सावधि जमा थी, जिसके संख्या 1516106000003445 है। सावधि दिनांक 04.01.2024 को 7,00,000/–रूपये की 444 दिन के लिए कराई थी, जिसकी परिपक्वता दिनांक 23.03.2025 को थी। वादी एवं उसकी पत्नी श्रीमती दलु के कोई संतान नहीं है और वादी ही एक मात्र उत्तराधिकारी है। पूर्व में कोई वाद/प्रार्थनापत्र उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र हेतु आप न्यायालय एवं अन्य किसी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र में आगे अभिवचन किया गया है कि वाद आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर प्रार्थनापत्र निश्चित न्यायशुल्क पर मय शपथपत्र पेश है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं मृतका श्रीमती दलु पत्नी भाणजी पुत्र श्री देवाजी, निवासी छोटी वीरवा खुर्द, पोस्ट झल्लारा, जिला–सलूम्बर के संयुक्त नाम से आईडीबीआई बैंक, झल्लारा में इन्टरेस्ट क्वार्टली पे–आउट सावधि जमा थी, जिसके संख्या 1516106000003445 है और परिपक्तवता राशि 7,00,000/–रूपये है, वह मय ब्याज प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र वादी के नाम का जारी किया जावे।

3. वादी के उक्त प्रार्थनापत्र के सम्मन अखबार में छाया करवाए गए किन्तु विपक्षी की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई उज्र लेकर उपस्थित नहीं आया है।

4. वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 के रूप में वादी भाणजी पी ड 1 का मुख्य परीक्षा शपथपत्र पेश कर इनको न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तथा दस्तजावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01ए प्रदर्श से प्रदर्श 05 ए तक को प्रदर्शित करवाया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. वादी की ओर से दौराने बहस प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र के जरिए चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है।

7. वादी की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. वादी की ओर से परीक्षित गवाह पी ड 1 भाणजी स्वयं वादी है, इसने मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराया तथा मुख्य रूप से कथन किया है कि श्रीमती दलु के जीवनकाल में वादी एवं श्रीमती दलु के संयुक्त नाम से आईडीबीआई बैंक, झल्लारा में एक इन्टरेस्ट क्वार्टली पे–आउट सावधि जमा थी, जिसके संख्या 1516106000003445 है। सावधि दिनांक 04.01.2024 को

7,00,000/–रूपये की 444 दिन के लिए कराई थी, जिसकी परिपक्वता दिनांक 23.03.2025 को थी। वादी एवं उसकी पत्नी श्रीमती दलु के कोई संतान नहीं है और वादी ही एक मात्र उत्तराधिकारी है। इस गवाह ने सावधि जमा की फोटोप्रति प्रदर्श 1ए, बचत खाता पासबुक की प्रति प्रदर्श 2ए, ग्राम पंचायत वीरवा कला द्वारा जारी वारिसान प्रमाणपत्र प्रदर्श 3ए, दलु का मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रदर्श 4ए, दलु के आधारकार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 5ए पेश करते हुए स्वयं एवं मृतका श्रीमती दलु पत्नी भाणजी पुत्र श्री देवाजी, निवासी छोटी वीरवा खुर्द, पोस्ट झल्लारा, जिला–सलूम्बर के संयुक्त नाम से आईडीबीआई बैंक, झल्लारा में इन्टरेस्ट क्वार्टली पे–आउट सावधि जमा थी, जिसके खाता संख्या 1516106000003445 है और परिपक्वता राशि 7,00,000/–रूपये है, वह मय ब्याज प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र वादी के नाम का जारी करने का निवेदन किया है।

9. वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अभिवचन एवं प्रार्थी/वादी की प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का कोई खंडन विपक्षी की ओर से कोई जवाबी अभिवचन या साक्ष्य पेश कर नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से स्वयं की पत्नी श्रीमती दलु की मृत्यु हो जाने के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श 4 पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से वादी/प्रार्थी की पत्नी श्रीमती दलु की मृत्यु दिनांक 12.01.2058 को होना प्रकट होता है। प्रार्थी भाणजी की ओर से स्वयं की पहचान के संबंध में स्वयं के आधारकार्ड, पेनकार्ड की प्रति पेश की गई है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिवचनों का एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का कोई जवाब या खण्डन विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण की साक्ष्य पर किसी भी प्रकार से अविश्वास किए जाने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में वर्णितानुसार सावधि में जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

–::<u>आदेश</u>::–

10. (1) अतः प्रार्थी भाणजी पुत्र देवाजी, निवासी छोटी वीरवा खुर्द, पोस्ट झल्लारा, जिला–सलूम्बर(राज.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी भाणजी मृतका श्रीमती

दलु का पति होने के कारण उत्तराधिकारी होने से प्रार्थी भाणजी द्वारा आज दिनांक से **एक माह** के भीतर नियमानुसार न्यायशुल्क अदा करने पर मृतका श्रीमती दलु एवं वादी स्वयं के नाम से संयुक्त आईडीबीआई बैंक, झल्लारा में इन्टरेस्ट क्वार्टली पे–आउट सावधि जमा, जिसके खाता संख्या 1516106000003445 है और परिपक्तवता राशि 7,00,000/–रूपये है, वह मय ब्याज प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिया जावे।

(2) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने तक इस आदेश की प्रतिलिपि जारी नहीं की जावे।

(3) प्रार्थी भाणजी की ओर से इस आशय की अण्डर टेकिंग पेश की जावे कि भविष्य में मृतका श्रीमती दलु के उक्त साविध खाता संख्या में जमा राशि का अन्य दावेदार होने पर वह न्यायालय के आदेशानुसार राशि लौटाने को बाध्य होगा।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

10. आदेश आज दिनांक 17.03.20265 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)